फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट-ट्रैक)सांचौर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी :- प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :- 14/2024
जी.सी.एम.एस. नंबर :- 2014/00007

प्रार्थी
प्रतापसिंह वल्द वीरसिंह, कौम राव, निवासी-सांचौर, तहसील-सांचौर, जिला-जालोर

अप्रार्थीगण
मृतवफी वरदाजी वल्द अचलाजी, जाति बारोट (राव), निवासी सांचौर के वारिसान् चैनसिंह पिसरान वरदाजी, जाति-बारोट (राव) निवासी-सांचौर, वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांक :- 02.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद सांचौर माखुपुरा मे पुराना खेत खसरा संख्या 237 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा किस्म जमीन बारानी दोयम की भूमि प्रथम सेटलमेंट में संवत् 2012 से 2031 में रहीमखां वल्द रहमतखां कौम सिपाही साकिनदेह खातेदर के नाम से थी जो उक्त भूमि थी जिसमें 1/3 हिस्से की भूमि रहीमखां से रामजी पुत्र उकाजी, कौम-राव, निवासी सांचौर ने खरीदी तथा रामजी पुत्र उकाजी कौम राव से मुझ प्रार्थी प्रतापसिंह ने 1/3 हिस्से की भूमि बएवज रूपये 20 हजार दिनांक 03.07.1998 को जरिये बैचाननामा बही संख्या 1 जिल्द संख्या 105 सिलसिला नंबर 64/88 सफा नंबर 103 के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा रहीम खां का शेष 2/3 हिस्सा भी मुझ प्रतापसिंह ने बएवज रूपये 25000 में दिनांक 15.061987 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार पूरी की पूरी भूमि पुराना खसरा संख्या 237 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा मुझ प्रार्थी की है तथा खरीद की तारीख से मैंने कब्जा प्राप्त किया हुआ है। पुराने खसरा संख्या 237 के नवसृजित खसरा संख्या 1955, 1956 व 1955/3205 एवं 1956/3065 मूर्तिब हुए है जिसके मिलान क्षैत्रफल की नकले साथ पेश है। द्वितीय सेटलमेन्ट वालों ने नवीन खसरा संख्या 1956/3065 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि मुझ प्रार्थी के ख[illegible] जानी थी किन्तु कानून को हाथ में लेकर अपने क्षैत्राधिकर के [illegible] प्रकार की सूचना दिए बिना अप्रार्थीगण के खाते में डाल दी तथा लिख दी [illegible] गलत है जिसका मुझ प्रार्थी को पूर्व में इल्म नहीं था। खसरा संख्या 1956/3065 रकबा [illegible]0 हैक्टेयर भूमि जो पुराने खसरा संख्या 268 में से मूर्तिब हुई है। पुराना ट्रैश नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जा रही है जिसमें खसरा संख्या 237 मुझ प्रार्थी का है तथा पुराना खसरा संख्या 278 जो नवीन खसरा संख्या 1939, 1951, 1957 मूर्तिब हुए है। यह खेत अप्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

है। पुराना खसरा संख्या 268 जिसमें से नवीन खसरा संख्या 1956/3065 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण की कभी न तो थी एवं न ही है जो अप्रार्थीगण के पुराना खसरा संख्या 278 से नवसृजित खसरा संख्या 1957 जो मुझ प्रार्थी के पड़ौस में है तथा खसरा संख्या 1957 मे मेरी भूमि जिसका नवीन खसरा संख्या 1956/3065 नवीन खसरा मूर्तिब किया गया है की भूमि रकबा 0.30 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम गलत इन्द्राज की है। मुझ प्रार्थी की भूमि मार्क 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' जो करीबन पुराना खसरा संख्या 237 अनुसार एल चौरस प्रकृति की है, जिनमें कहीं भी डिटो डिटो लाईन नहीं है जो पुराना ट्रैस नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है इस प्रकार द्वितीय सेटलमेंट वालों ने अपने क्षैत्राधिकार के बहार जाकर मुझ प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1956/3065 नवीन खसरा मूर्तिब कर अप्रार्थीगण के नवीन खसरा संख्या 1957 में डाल दी गई जो गलत है। यह भूति शूरू से ही मुझ प्रार्थी के कब्जे एवं काश्त में है तथा पूर्व में रहीमखां एवं रामजी ने मुझे खरीद के वक्त कब्जा करवाया गया तब से लगातार पूरी भूमि 4.41 हैक्टेयर जो करीब 26 बीघा 12 बिस्वा के आस पास की भूमि का कब्जा करवाया गया तब से लगातार मैं प्रार्थी बिगोड़ी अदा करता आ रहा हूं तथा गिरदावरी भी मेरे नाम से होती आ रही है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सादीर फरमाई जावें कि वांके सरहद मौजा माखुपुरा सांचौर के नवीन खसरा संख्या 1956/3065 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि जो मुझ प्रार्थी के मालिकी हक हकूक व कब्जे काश्त की होने से उसमें मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन ही करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही वादग्रस्त आराजी आगे किसी को बैचान, रहन, भोगलावा, गिरवी, तर्क वगैरह ही करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 व 08 के अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए निवेदन किया है कि सरहद मौजा मौखुपुरा पटवार हल्का सांचौर के खेत खसरा नंबर 9156/3065 रकबा 0.030 हैक्टेयर व खसरा नंबर 3836/1957 रकबा 0.735 हैक्टेयर कुल रकबा 1.0350 हैक्टेयर संपूर्ण भूमि चौपसिंह पुत्र वरधसिंह जाति बारोठ निवासी–ब्राह्मणों का वास सांचौर से जरिये बैचान दस्तावेज दिनांक 03.09.2021 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। माफिक बैचान दस्तावेज [illegible] जगदीश के नाम विधिवत खातेदारी अमल दरामद हुई एवं माफिक कब्जाकाश्त कायम माठे अनु[illegible] नक्शा [illegible] तरमीम हुई, मुझ अप्रार्थी चांपाराम को उक्त भूमि बैचान करने [illegible] जगदीशचन्द्र को बैचान कर कब्जा दिया गया। जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजी मुझ अप्रार्थी जगदीशचन्द्र की खरीदसुदा कब्जासुदा मालिकाना हक हकूक की होने से मौके पर कब्जे काश्त अनुसार द्वितीय सेटलमेंट वालों ने नक्शा व जमाबंदी रेकर्ड अपडेट किया है जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं होने से एवं पुराने खसरा नंबरान 237 का नवीन खसरा नंबर 1956/3065 का भाग नहीं होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

से इस भूमि में प्रार्थी का कोई हक अधिकार कब्जा नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मनगंढ़त, सरासर गलत व हवाई तथ्यों का होने व कानूनी सिद्वान्तों के विपरित होने से आधारहीन, निराधार, मिथ्या व अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिए पेश किया होने से खारिज फरमावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 मौजा माखुपुरा सांचौर के खसरा संख्या 1956/3065 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रेक) सांचौर
सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक **02.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रेक) सांचौर
सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:56 IST
Reason: SelfAttested